

**GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI**  
**REVENUE DEPARTMENT: PARLIAMENT CELL**  
**5, SHAM NATH MARG DELHI**

No. F.11/1758/DC/PC/VS/2022/ 855

Dated: 26-3-22

To

The Dy. Secretary (Question Cell),  
Delhi Legislative Secretariat,  
Old Secretariat Delhi-110054

**Sub: Reply to Vidhan Sabha Unstarred Question No. 218 fixed for 29.03.2022 raised by Hon'ble MLA Sh. Ajay Mahawar.**

Sir,

Please find enclosed herewith the 100 copies of the reply in respect of above said question for further necessary action at your end.

This issues with the prior approval of Competent Authority.

Encls : As above.

Yours faithfully,



(Sharad Kumar)

Sub Divisional Magistrate (HQ)  
**SHARAD KUMAR**  
Sub-Divisional Magistrate (HQ)  
Govt. of NCT of Delhi  
5, Sham Nath Marg, Delhi-54

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)  
संसदीय शाखा,  
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 218

अनु0जा0/ज0जा0/ओबीसी एवं अल्पसंख्यक विभाग

दिनांक 29.03.2022

प्रश्नकर्ता का नाम : माननीय विधायक श्री अजय महावर जी।

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत कौन-कौन से धर्म एवं जाति के लोग आते हैं?	इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार के अधीन कोई अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड नहीं है।
ख)	अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए क्या-क्या योजनाएँ चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं पर कितना बजट रखा गया है? पूर्ण विवरण दें	राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं। 1. कक्षा 1 से कक्षा 12 में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति (बजट 15 करोड़ रुपये) 2. व्यावसायिक/तकनीकी कॉलेजों/संस्थानों विश्वविद्यालयों के अध्ययनरत अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को मेरिट छात्रवृत्ति (बजट 2 करोड़ रुपये) 3. अल्पसंख्यक छात्रों को डा० बी० आर० अम्बेडकर राज्य पुरस्कार (बजट 5 लाख रुपये) {2020-21 से पूर्व उपर्युक्त योजनाएं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत थीं।} भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:- 1. अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना। 2. अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप सीएस। 4. बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत आवेदकों का भुगतान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन किया जाता है तथा इस सम्बन्ध में दिल्ली सरकार को बजट आवण्टित नहीं किया जाता।
ग)	अब तक इस बजट की कितनी धनराशि खर्च की गई है और कितनी शेष बची है? पूर्ण विवरण दें।	वर्ष 2020-21 लाभान्वित हेतु प्रक्रिया जारी है।

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त कर ली गई है।



(शरद कुमार)

उप मण्डलीय दण्डाधिकारी -3 (मु०)

**SHARAD KUMAR**  
Sub-Divisional Magistrate (HQ)  
Govt. of NCT of Delhi  
5, Sham Nath Marg, Delhi-54